॥ श्री ॥

न्यायालय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक | ।९१ निगरानी 165-प्र/91

१- शिवदत्त पुत्र श्यामलाल अग्निहोत्री
२- साकेतबिहारी पुत्र रामेश्वर
३- महिला शकुंतला पत्नी रामस्वरूप
समस्त निवासीगण ग्राम सरवई
तहसील गौरिहार जिला छतरपुर (म०प्र०)
---आवेदकगण

बनाम

१- पुचन पुत्र रामनारायण
निवासी ग्राम सरवई तहसील गौरिहार
जिला छतरपुर (म०प्र०)
२- शासन म०प्र० -- अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आज्ञा श्री अतिरिक्त कमिश्नर संभाग सागर तारीखी १७-७-९१ अंतर्गत धारा ५० म०प्र०भू-राजस्व संहिता ।

----

माननीय महोदय,

श्रीमान् की निगरानी आवेदकगण निम्न कारणों द्वारा प्रस्तुत है :-

१- यह कि, निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं विधान के विपरीत होने से तथा फाइंडिंग परवर्स होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

२- यह कि, आवेदकगण हितकारी व्यक्ति (interested party) है उनकी भूमिविवादग्रस्त भूमि से जिसका अनावेदक क्रमांक १ ने सीमांकन कराया है ... हुई है सीमांकन के पूर्व आवेदकगण को नोटिस दिया जा[ना] आवश्यक था जो न देने से आवेदकगण की अपूर्तिनीय हा[नि] ... तथा वोह न्याय पाने से वंचित रहे हैं व अपना पक्ष समर्थ[न] कर सके है सीमांकन जो किया गया है अवैधानिक तथा ... है तथा [निर]स्त किये जाने [योग्य] है।

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक–निगरानी–165–दो/91 जिला– छतरपुर

**शिवदत्त आदि विरूद्ध पुत्तन एवं मध्यप्रदेश शासन**

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 16–01–19 | प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री ए.के. अग्रवाल एवं अनावेदक क्र. 2 शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक श्री शिराज कुरैशी उपस्थित। उभयपक्ष के तर्क सुने गये।<br>2/ आवेदक के अभिभाषक ने अतिरिक्त आयुक्त सागर संभाग सागर के प्र0क्र0 159/अ–12/1990–91 में पारित आदेश दिनांक 17–07–1991 के विरूद्ध भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।<br>3/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सरवई स्थित भूमि खसरा नं. 155/1 रकबा 1.343 हैक्टेयर की भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु अनावेदक पुत्तन द्वारा नायब तहसीलदार सरवई के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । जिस पर नायब तहसीलदार ने दिनांक 31–08–1989 से प्रकरण इस आधार पर खारिज किया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन किया जा चुका है। नायब तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर छतरपुर ने नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश का परिशीलन किया तथा सीमांकन की कार्यवाही को उचित मानते हुये दिनांक 11–12–1990 से प्रस्तुत निगरानी खारिज की है। अपर कलेक्टर के आदेश के | |

16.01.19

विरूद्ध अतिरिक्त आयुक्त सागर संभाग, सागर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 159/अ–12/1990–91 में पारित आदेश दिनांक 17–07–1991 से अपर कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखा तथा निगरानी औचित्यपूर्ण न होने से निरस्त किया। ~~अतिरिक्त~~ अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4/ मेरे द्वारा अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के आदेश का अवलोकन किया गया । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा बोलता हुआ (Speaking Oder) आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। अतः निगरानी निरस्त की जाती है।

5/ पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

(आर.के. जैन)
सदस्य 16.01.19